<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 2, पीलीभीत।</u>

<u>दिनांकः19.10.2022</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सुदीप उर्फ सुधीर दीक्षित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 275/2022 अं0 धारा–307 आई.पी.सी., थाना–दियूरिया कलां जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थी जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने तथा गैरजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का होन तथा जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया जा सकता है तथा पुनः अपराध में संलिप्त हो सकता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुदीप उर्फ सुधीर दीक्षित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 275/2022 अं0 धारा–307 आई.पी.सी., थाना–दियूरिया कलां जिला पीलीभीत जिला पीलीभीत के अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(अभिनव तिवारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या–2 पीलीभीत।
19.10.2022